भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4510
19.07.2019 को उत्तर के लिए

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

4510. श्री राजू बिष्ट :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स, तराई और द्वार-क्षेत्र में लागू नहीं किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का वन प्रबंधन के भाग के रूप में वन निवासी कल्याण को शामिल करने के लिए भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण में बदलाव करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को दार्जिलिंग क्षेत्र के भू-भागों/वन्य क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को वहां से हटाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) जी हां, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 19.02.2019 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) देहरादून में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संरचना के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति ने मंत्रालय को प्रस्तुत की गई अपनी अनुशंसा में सुझाव दिया है कि भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनरी व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ''ट्राइबल एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज'' के शीर्षक मॉडल को शामिल करते हुए जनजातीय समुदायों के कल्याण पर अधिक बल दिया जाए।

(घ) और (ड.) पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने सूचित किया है कि दार्जिलिंग क्षेत्र के अपने भू-भागों/वन्य क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को वहां से हटाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****